दिनांकः– 06.06.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में प्रतीक चिन्ह् (Logo) से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. डॉ0 रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के प्रतीक चिन्ह् (Logo) से संबंधित कुल 28 प्रस्ताव ई – मेल के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। जिसके लिये 1 से 28 तक सूची तैयार किया गया। सभी सदस्यों द्वारा इस पर मार्किंग किया गया। तद्नुसार 4 प्रतीक चिन्ह् (Logo) को सर्वसम्मति से चयन किया गया, जो निम्न है :–

S.No.	Name/Email
1	Vinod Khandait (vinodkhandait@gmail.com)
2	Shiv Nath (shiv8873636699@mail.com)
3	Rajeev Kr Mandal (rajeevmandal24@yahoo.com)
4	Vivekananda Paul (paul31123@gmail.com)

बैठक में निर्णया लिया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जो प्रतीक चिन्ह् (Logo) भेजा गया है, उन्हें आयोग कार्यालय में बुलाया जाय एवं खाद्य आयोग के थीम के आधार पर प्रतीक चिन्ह् (Logo) को विचार–विमर्श के उपरान्त उसकी चयन पर विचार किया जायेगा।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

ह0/–
(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ह0/–
(हलधर महतो)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ह0/–
(रामकरण रंजन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ह0/–
(उपेन्द्र नारायण उराँव)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

दिनांक 18.6.2018 को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य खाद्य आयोग की हुई बैठक की कार्यवाही

दिनांक 18.6.2018 को प्रोजेक्ट भवन सभागार में सभी जिलों के अपर समाहर्त्ताओं की बैठक, आवंटित समय 1.30 बजे अप0 से 2.00 बजे अप0 के बीच सम्पन्न हुई। बैठक में पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, देवघर, चतरा एवं जामताड़ा को छोड़कर शेष 19 जिलों के अपर समाहर्त्ता उपस्थित थे।

अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि इससे पहले राज्य खाद्य आयोग की 1ली बैठक दिनांक 23.8.2017 को की गयी थी। दस माह बीतने के बाद भी कार्यवाही का अनुपालन किसी जिले से प्राप्त नहीं हुआ है।

संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को आयोग के ओर से बैठक की कार्यवाही की प्रति पुनः उपलब्ध कराई गई। दिनांक 23.8.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन पर शीघ्र अनुपालन हेतु कई बार पत्र दिये गये है, अर्द्धसरकारी पत्र दिनांक – 03.04.18 को भी भेजा गया है, किन्तु कही से भी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है। सभी अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इसका अनुपालन प्रतिवेदन उपायुक्त के माध्यम से दिनांक – 30.06.2018 तक अवश्य भेजें।

राज्यों के आकांक्षी जिलों में आंगनवाड़ी, मध्यान भोजन एव जनवितरण प्रणाली पर चर्चा की गयी ।इन जिलों से दिनांक – 15.08.2018 तक विकास की सघन कार्यक्रम चलाना है। इसी के दौरान इन कार्यक्रमों पर भी अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी विशेष ध्यान दें।

कुपोषण के संबंध में चार टेबुल दिया गया है। कुपोषित के संबंध में बतलाया गया कि खूंटी जिला इसमें सबसे पीछे है तथा कोडरमा जिला का सबसे अच्छा है किन्तु राष्ट्रीय औसत से नीचे है। अतिकुपोषित में खूंटी और दुमका जिले हैं। सभी अपर समाहर्त्ता स्वप्रेरणा से तीनों सेक्टरों में कम से कम पाँच–पाँच मामले एक माह में शुरू करने का निदेश दिया गया।

जिलों के निम्न मामलों के प्रति अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया एवं निदेश दिया गया कि इनका अनुपालन अगली बैठक के पूर्व कर लें।

क्रमांक	जिला	पत्रांक / दिनांक	विषय–वस्तु
1	गोड्डा	10 / 22.09.17	विभागीय मंत्री को प्राप्त शिकायत के संबन्ध में।
2	दुमका	44 / 30.10.17	विभागीय मंत्री को प्राप्त शिकायत के संबन्ध में।
3	गढ़वा	139 / 13.03.18	चेटे पंचायत
4	लातेहार	144 / 15.03.18	डोकी पंचायत एवं टुण्डु पंचायत।
5	सिमडेगा	145 / 15.03.18	रामरेखा धाम का बिरहोर

			बस्ती।
6	राँची	146 / 15.03.18	सुकुरहुट्टु
7	गढ़वा	224 / 19.04.18	चिनिया प्रखण्ड का बेते पंचायत।
8	पलामू	225 / 19.04.18	कमला प्रेस के विरुद्ध आरोप।
9	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	232 / 24.04.18	मेघाहातु बुरु पंचायत।
10	राँची	261 / 10.05.18	चैनगढ़ा पंचायत।
11	गुमला	266 / 10.05.18	सकरौली का आँगनबाड़ी केन्द्र।

निदेश दिया गया कि जो शिकायत उन्हें प्राप्त होती है, इस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 की धारा – 15 के अन्तर्गत न्यायालय के रुप में सुनवाई आरंभ कर कार्रवाई की जाय। ऐसा देखा जा रहा है कि अन्य मामलों की भाँति इन पर दैनिक रुप से पत्र के माध्यम से जाँच कराई जाती है। यह प्रक्रिया न्यायालय से अलग है। सभी अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी इस पर ध्यान दें।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के अन्तर्गत निम्न विभागों के कार्यक्रमों पर निगरानी रखना है :–

1. जन वितरण प्रणाली
2. मध्याह्न भोजन
3. आँगनबाड़ी केन्द्र

लेकिन यह देखा जा रहा है कि 90 प्रतिशत केवल जन वितरण प्रणाली के मामलों पर कार्रवाई की जा रही है, आँगनबाड़ी एवं मध्याह्न भोजन पर नहीं की जा रही है। इस पर ध्यान दिया जाय।

न्यायालय के कार्य में यदि अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी चाहें तो जाँच संबन्धित विभागीय अधिकारी से न करावें।

जाँच प्रतिवेदन राजस्व अधिकारी / अंचल अधिकारी / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से प्राप्त करें। अपर समाहर्त्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी चूँकि जिले के वरीय राजस्व पदाधिकारी हैं, अतः राजस्व संवर्ग के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन जल्द प्राप्त होगा।

सभी जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से अनुरोध है कि न्यायालय के मामलों में संबन्धित पंचायतों के मुखिया एवं संबन्धित क्षेत्र के वार्ड पार्षद को अवश्य न्यायालय में बुलावें। क्योंकि वे स्थानीय निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसा करने से निगरानी समिति भी सक्रिय होगी।

दुमका, साहेबगंज एवं गोड्डा के 118 लम्बित मामलों पर DC की अध्यक्षता में बैठक कर निर्णय लेने का निदेश दिया गया। ये सभी मामले माननीय विभागीय मंत्री द्वारा मई, 2017 में जन सुनवाई में प्राप्त हुआ था। एक वर्ष बीतने के बाद भी इसे लंबित रखना गंभीर बात है।

खाद्य आयोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें कुछ अपर समाहर्त्ता सक्रिय हैं। उस ग्रुप में सभी अपर समाहत्ताओं को सक्रिय होने का सुझाव दिया गया।

सभी जिलों के नागरिकों को NFSA के प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक करने की दिशा में कार्रवाई करने तथा जिला मुख्यालय में कार्यशाला आयोजित करने हेतु कहा गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–
(सुधीर प्रसाद)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांक–रा0खा0आ0(बैठक) 31/2017 – 385 दिनांकः– 22.06.18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांक–रा0खा0आ0(बैठक) 31/2017 – 385 दिनांकः– 22.06.18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्त मामले विभाग, झारखंड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

ज्ञापांक–रा0खा0आ0(बैठक) 31/2017 – 385 दिनांकः– 22.06.18

प्रतिलिपि– सभी अपर समाहर्त्ता–सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, झारखंड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखंड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।